

राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-संस्था/चि0अ0/एटी/प031/2008/141

दिनांक- 17/09/08

-: आदेश :-

राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 2008 के नियम 20 में उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत चयन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 7950/- प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम चिकित्सा अधिकारी व पता	मेरिट सं०	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डा० गोरव पाठक पुत्र श्री हेमन्त पाठक सी/ओ पाठक निवास, गामोठवाडा रोड, पंचायत समिति के पीछे, सागवाड जिला डूंगरपुर (राज.)	648	13-11-80	Gen	सामु०स्वा०केन्द्र गलियाकोट (डूंगरपुर)
2.	डा० मुकेश कुमार वर्मा, पुत्र श्री रामचन्द्र रघुवन्शी, बृहसिंह पुरा रोड, मो० गुलाब बाग पो० खण्डेला, सीकर-332709	888	25-10-78	SC	प्रा०स्वा०केन्द्र लाठी (जैसलमेर)
3.	डा० बिशन कुमार बैरवा श्री पूरण मल बैरवा, जलदाय विभाग कॉलोनी मनुमार्ग, अलवर	1013	08-07-78	SC	सामु०स्वा०केन्द्र आसपुर (डूंगरपुर)
4.	डा० महेश चन्द मेहरा, पुत्र श्री पी०एल० मेहरा, लार्ड कृष्णा स्कूल के सामने, मेन रोड, खेडली फाटक, कोटा	1031	18-01-74	SC	प्रा०स्वा०केन्द्र जवाहरसागरडेम (बूंदी)
5.	डा. जितेन्द्र चौहान, पुत्र डा. कमलेश चौहान, सेठजी का चौक, बून्दी	1111	05-03-78	SC	प्रा०स्वा०केन्द्र सरसिया मैला (भीलवाडा)
6.	डा. गोविन्द कुमार मीणा, ग्रा. पो. मऊ, तह० मांगरोल, बारा	1166	08-01-80	ST- M	प्रा०स्वा०केन्द्र अयाना (कोटा)

"These appointments are subject to the decisions of S.B. Civil Writ Petition Nos. 7124/08 and 7103/08.

परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन है।

दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

✓

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर-भीतर तक कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। उपरोक्त चिकित्सकों को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी है, सीधे ही पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना है।

जो चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपना चार्ज संभलाकर कार्यमुक्त होकर ही नवीन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।


इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नहीं है।


17/9/18

निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजि सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3) निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) उपर्युक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जौन, संबंधित।
- 7) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण के समय सतारों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अभ्यार्थी के कार्यग्रहण की सूचना निजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में निजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।
- 8) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाकू द्वारा।
- 10) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को अभ्यार्थियों से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
- 11) आदेश पत्रावली / निजि पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा०) 17/9/18
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।